भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3748
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

कार्यशील ई-न्यायालय

3748. श्री कृपानाथ मल्लाह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कार्यशील ई-न्यायालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम सहित देश भर में ई-न्यायालय परियोजना के लिए स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश में कार्यात्मक ई-न्यायालयों का उच्च न्यायालय-वार विवरण **उपाबंध-1** में संलग्न किया गया है।

(ख) से (ग) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है । ई-न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है । परियोजना का चरण 1 वर्ष 2011-2015 के बीच लागू किया गया था । परियोजना का चरण 2 वर्ष 2015 से 2023 तक बढ़ाया गया । सरकार ने सभी के लिए न्याय को सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (चिह्नित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी 23.58 करोड़ से अधिक मामलों और 22.56 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (01.08.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. नि:शुल्क और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है ।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है । यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे । हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30.06.2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30.06.2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं । 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है । वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं ।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, तथा इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है ।

viii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख (39,16,405) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है । 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है । ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 21 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है । 30.06.2023 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार

की सहायता की आवश्यकता है । यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं । यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है । इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा ।

xii. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

xiii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है ।

xiv. बेंच द्वारा खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "निर्णय खोज" पोर्टल आरंभ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

ई-न्यायालय के अवसंरचना विकास के लिए असम सहित देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई धनराशि **उपाबंध- 2** में दी गई है ।

****

उपाबंध 1

'कार्यशील ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण । देश में परिचालन ई-न्यायालयों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओडिशा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
		कुल	**3452**	**18735**

उपाबंध 2

अवसंरचना विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि इस प्रकार है संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	2019-2020		2020-21		2021-22	
		जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)
1	इलाहाबाद	15.04	13.63	13.79	10.22	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
3	बंबई	0.00	0.00	8.86	8.86	0.00	0.00
4	कलकत्ता	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	4.44	4.44	2.34	2.34	0.00	0.00
6	दिल्ली	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00
7	गुवाहाटी	0.98	0.98	1.52	1.52	1.26	1.18
8	गुवाहाटी (असम)	13.68	13.40	6.11	1.78	3.49	3.46
9	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.51	0.43	0.72	0.69	0.30	0.25
10	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.70	0.70	0.83	0.83	0.84	0.84
11	गुजरात*	0.00	0.00	3.48	0.83	0.00	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.00	1.78	0.00	0.00
13	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	झारखंड	5.53	0.35	2.98	0.48	0.00	0.00
15	कर्नाटक	9.15	9.15	4.29	4.29	0.00	0.00
16	केरल	0.00	0.00	2.83	2.83	1.58	1.58
17	मध्य प्रदेश	11.21	11.06	6.28	6.21	0.00	0.00
18	मद्रास	0.00	0.00	4.73	2.46	0.00	0.00
19	मणिपुर	0.61	0.60	1.30	1.28	0.76	0.75
20	मेघालय	0.92	0.09	2.32	0.51	2.23	0.85
21	ओडिशा	13.46	13.09	3.37	3.31	0.00	0.00
22	पटना	7.08	6.40	5.44	5.30	0.00	0.00
23	पंजाब और हरियाणा	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00
24	राजस्थान	1.29	1.29	10.58	10.57	1.62	1.62
25	सिक्किम	1.61	0.68	1.01	0.92	0.77	0.00
26	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
27	उत्तराखंड	2.24	2.19	4.44	4.05	0.96	0.78
28	ओडिशा	0.00	0.00	1.28	0.12	0.00	0.00
कुल		**88.44**	**78.50**	**107.74**	**80.57**	**13.80**	**11.31**

*गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किए। कुल उपयोग में अभ्यर्पित धनराशि शामिल है।

**तत्कालीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा धनराशि जारी की गई, और दोनों राज्यों ने उपलब्ध धनराशि को क्रमशः 58:42 के अनुपात में साझा किया।

ध्यान दें: वर्ष 2022-2023 के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि चरण 2 के कुल परिव्यय के रूप 1670 करोड़ रुपये ख़त्म हो चुके हैं।

****